

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 67/2017 स्थगन प्रार्थना पत्र

श्री पेमा पिता मांगू कीर निवासी काबरों
का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
(राज0)

उनवान

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
भीलवाड़ा, जिला-भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

—अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार कारोई, बमामले प्र0सं0 21/2017 आदेश दिनांक 26.07.2017 में स्थगन बाबत

उपस्थित :- श्री सुनिल बापना अधि0 प्रार्थी की ओर से !
राजकीय पक्ष में नायब तहसीलदार कारोई उपस्थित !

निर्णय

दिनांक : 15/09/2017

प्रार्थी की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार कारोई तहसील भीलवाड़ा, बमामले प्रकरण संख्या 21/2017 आदेश दिनांक 26.07.2017 प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय में समय लगने से उक्त प्रकरण में प्रार्थी को दी गई सजा को स्थगित किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नायब तहसीलदार साहब कारोई द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्त/प्रार्थी को बेदखल करने तथा 30 दिवस की सिविल कारावास सजा देते हुए कल दिनांक 14.09.2017 को गिरफ्तार करके जिला जेल, भीलवाड़ा में भिजवा दिया जो वर्तमान में जिला जेल भीलवाड़ा में बन्द है।

यह कि प्रार्थी निहायत गरीब खेतीहर काश्तकार है और उसकी फसलें भी करीब-करीब पकी हुई है और रोजड़ों से नुकसान को बचाने के लिए प्रार्थी को रात्रि में खेत पर ही सोना पड़ता है। यदि अधिक समय तक प्रार्थी जेल में रहा तो उसकी सारी फसल रोजड़े खा जायेगें और उसका परिवार भूखो मर जायेगा। अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है किन्तु प्रार्थी की अपील ठोस आधार आधारित होने से अवश्य स्वीकार होगी। प्रार्थी न्यायालय आपमें उपस्थित होने के लिए जमानत व मुचलका भी पेश करने के लिए तैयार है एवं अपीलान्त जेल से रिहा होने के बाद अपना अतिक्रमण हटा लेगा। अतः अपीलान्त/प्रार्थी को दी गई सजा स्थगित फरमाते हुए जमानत पर आजाद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता एवं राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार कारोई स्वयं उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुना।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी अनपढ़ काश्तकार होकर कानून से अनभिज्ञ है उसे निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी जब उन्हें जेल की सजा से सम्बन्धित वारन्ट तामील हुए तो इस निर्णय की जानकारी हुई जिसके अपील मियाद में

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा



प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील के निर्णय में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी अपने नाजायज कब्जे को हटाने को तैयार है इसके लिए समय फरमाते हुए सजा माफ कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार कारोई ने अपने कथन में कहा कि उक्त अतिक्रमी वक्त निर्णय उपस्थित था जिसक निर्णय की जानकारी थी एवं नाजायज कब्जा हटाने के लिए प्रार्थी को पटवारी हल्का गुरला के मार्फत सूचित किया परन्तु कब्जा हटाने को तैयार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल फरमावें तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।


मूल अपील में प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 26.07.2017 में अपने मौखिक बयान कलमबद्ध कराये जिसमें ग्राम गुरला की चरागाह आराजी नम्बर 1374 में 0.05 बीघा भूमि पर अतिक्रमण होना एवं इसी आराजी एवं रकबे पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना भी स्वीकार किया है। बयान में उक्त अतिक्रमित रकबे से अपना कब्जा नहीं हटाने का भी कथन किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी आदतन नाजायज कब्जा करने का आदी है प्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित रकबे पर बाड़ा एवं केलूपोश मकान बना रखा है। इसी आराजी एवं रकबे पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लगे बेदखली पर्चा प्र0सं0203/16 दिनांक 21.11.2016 से होती है। अतिक्रमण की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय उचित है परन्तु गंभीर प्रकृति का होने से न्याय की दृष्टि से प्रार्थी को दी गई सिविल जेल की सजा को स्थगित किया जाना उचित होगा। अतएव—

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 10000—10000 रुपये के जमानत एवं इसी कदर के मुचलके नायब तहसीलदार कारोई के समक्ष प्रस्तुत करे तो उनको जमानत पर रिहा किया जावे तत्पश्चात प्रार्थी अपना अतिक्रमण 7 दिवस में भौतिक रूप से हटा कर नायब तहसीलदार, कारोई के समक्ष उपस्थित होकर एक बन्धपत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि अतिक्रमित आराजी व रकबे से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में ऐसी किसी भी राजकीय, चरागाह या सार्वजनिक भूमि पर मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी नाजायज कब्जा नहीं करेंगे। इस सम्बन्ध में नायब तहसीलदार कारोई सम्बन्धित अतिक्रमियों से बन्धपत्र प्राप्त कर मौके का भौतिक सत्यापन कर अतिक्रमण हटा लिए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उक्त अवधि में आदेश की पालना नहीं किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय का सिविल जेल का आदेश यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 15/09/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मुक्ताचंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा